राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग एवं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/ 19 **दिनांक : 07/12/15**

जिला कलेक्टर,
समस्त जिलें,
राजस्थान।

विषयः– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना "भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना" का शुभारंभ दिनांक 13.12.2015 से हो रहा है।

इस योजना के विषय में दिनांक 19.11.2015 तथा 04.12.2015 को विडियों कॉफ्रेन्स कर योजना संबंधित दिशा–निर्देश, प्रचार–प्रसार की सामग्री, D.O. Latter, इत्यादि के माध्यम से समय समय पर जानकारी प्रदान की जा चुकी है। योजना के अन्तर्गत आप द्वारा नामित प्रशासनिक स्तर के अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है, इसी क्रम में जिलों से भेजे गये प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, कम्प्यूटर आपरेटर, सूचना सहायक एवं स्वास्थ्य मार्दर्शकों को दिनांक 27.11.2015, 30.11.2015 के मध्य राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसी क्रम में आप से अपेक्षित है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जानकारी, आमुखीकरण व पर्यवेक्षणार्थ एक बैठक का आयोजन किया जाये जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हो –

1. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज
2. मेडिकल सुप्रिंटेण्डेट
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी
6. उपखण्ड अधिकारी
7. तहसीलदार
8. ब्लॉक विकास अधिकारी
9. योजनान्तर्गत Empanelled निजी चिकित्सा संस्थान के प्रतिनिधि

इस बैठक हेतु एक power point presention (PPT) भी संलग्न कर भिजवाई जा रही है। जिसमें योजना से सम्बन्धित जानकारी निहित है। जिसके माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराते हुए आप अपने जिले में योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करावें।

(मुकेश शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः एफ1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/ **दिनांक :**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, संभागीय आयुक्त (समस्त संभाग)।
6. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
7. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग